

07/04/25

पञ्जाबी वाक्वे रिणदि पेहा डुग कौल वरि 317
पार वरि स्वीकर डिश जात लीं विस्तृत रिणदि-
अला से लिखात जातु शारिल डिश गहन
डिरी जारी हो नैधर से क लो

रिणदि सुगहा गहन

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2023/385



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं० 129/23 (G.C.M.S.-2023/385)

दायर दिनांक 02-06-2023

पदमाराम पुत्र श्री रामलाल जाति जाट साकिन रधुनाथपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज०

----- वादी

बनाम

- 1- भैराराम पुत्र. श्री रामलाल } अकवाम जाट साकिनान रधुनाथपुरा तहसील
- 2- गणेशाराम पुत्र श्री रामलाल } सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज०
- 3- शाखा प्रबन्धक ओ बी सी बैंक वर्तमान पी एन बी बैंक शाखा रधुनाथपुरा
- 4-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

----- प्रतिवादीगण

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 209 राज० काश्त० अधि० 1955

उपस्थित :-

- 1- श्री कमलदत्त शर्मा अभिभाषक वादी ।
- 2- पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।

---:-- निर्णय ---:

दिनांक :- 07/04/2025

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषक वादी , अभिभाषक प्रतिवादी न० 1 ता 4 एवं पैरोकार राज उपस्थित । प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी न० 1 ता 3 के नाम से संयुक्त खाते की खातेदारी भूमि तहसील सूरतगढ के वाके चक 3 बी पी एस एम तहसील सूरतगढ के खाता सं० 44/27 की 2.530 है० कमाण्ड खातेदारी भूमि, खाता सं० 45/28 की 2.530 है० क० खातेदारी भूमि एवं वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 के नाम भूमि वाके चक 3 बी पी एस एम के खाता सं० 34/1 की 1.165 है० कमाण्ड खातेदारी भूमि, खाता सं० 35/50 की 8.727 है० कमाण्ड अनकमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है । उक्त जैरवाद रकबा वाके चक 3 बी पी एस एम तहसील सूरतगढ के खाता सं० 44/27 की 2.530 है० में वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा अर्थात 0.8433 है० , खाता सं० 45/28 की 2.530 है० में वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 2 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा 0.8433 है० , खाता सं० 34/1 की 1.165 है० में वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 प्रत्येक का 1/2 हिस्सा अर्थात 0.5825 है०, खाता सं० 35/50 की 8.727 है० में वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 प्रत्येक का 1/2 हिस्सा अर्थात 4.3635 है० खातेदारी भूमि इस प्रकार जैरवाद भूमि में वादी का कुल 6.6326 है० खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादी न० 1 ता 2 के द्वारा संयुक्त खाते की भूमि का आपसी सहमति के द्वारा घरेलू बंटवारा आज से करीब 20 वर्ष पूर्व किया जा चुका है। तथा इसी घरेलू बंटवारे के मुताबिक ही वादी के कब्जा कास्त में भूमि वाके चक 3 बी पी एस एम तहसील सूरतगढ के खाता सं० 44/27 के प० न० 133/57 मु० न० 34 के किला न० 2/1 में 0.202 है० , 3 ता 5/0.759 है० , 6/0.110 है० , 7/0.110 है०, 10/3 में 0.051 है० = 1.232 है० कमाण्ड खातेदारी भूमि , खाता सं० 45/28 के प० न० 133/57 मु० न० 34 के किला न० 8-9-11/0.759 है० कमाण्ड खातेदारी भूमि एवं चक 3 बी पी एस एम के खाता सं० 34/1 के प० न० 153/1 मु० न० 33 के किला न० 7-8/0.506 है० कमाण्ड, खातेदारी भूमि व खाता सं० 35/50 के प० न० 133/49 मु० न० 35 के किला न० 15/1 मे 0.164 है० कमाण्ड , 16/0.037 है० क० = 0.201 है० क०, प० न० 133/57 मु० न० 34 के किला न० 10/2 में 0.139 है० , प० न० 133/58 मु० न० 43 के किला न० 2/0.253 है० , 3/0.0189 है० क०, 4/0.253 है० क०, 5/1 में 0.240 है०, 7/0.253 है०, 9/0.253 है०, 12-14-17-19/1.012 है० कमाण्ड, 22-24/0.506 है० अनकमाण्ड = 2.7889 है०

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)



कमाण्ड / अनकमाण्ड, प० न० 153/1 मु० न० 33 के किला न० 9-10/0.506 है० , 11/0.127 है० , 12/2 में 0.126 है० , 13/3 में 0.127 है०, 14/0.126 है० = 1.012 है० कमाण्ड कुल 4.135 है० कमाण्ड/ अनकमाण्ड कुल 6.637 है० कमाण्ड / अनकमाण्ड खातेदारी भूमि वादी को घरू बंटवारा अनुसार प्राप्त हुई है एवं मौका पर कब्जा काशत है जिसका खाता विभाजन वादी करवाना चाहता है । इसलिए वादी जैरवाद भूमि में अपने कब्जा कास्त अनुसार खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया ।

वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादी न० 1 ता 4 को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस उपसिति नही आये उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई । प्रतिवादीगण उपस्थित नही आने के कारण तनकीयात कायम किया जाना उचित नही समझते है ।

वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किये गये जिस पर जिरह नही की गई । वादी के अभिभाषक की बहस सुनी गई । जिसमें वादी के विद्वान अभिभाषक ने दावे के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी न० 1 ता 3 के नाम से संयुक्त खाते की खातेदारी भूमि तहसील सूरतगढ के वाके चक 3 बी पी एस एम तहसील सूरतगढ के खाता सं० 44/27 की 2.530 है० में वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा अर्थात 0.8433 है० , खाता सं० 45/28 की 2.530 है० में वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 2 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा 0.8433 है० , खाता सं० 34/1 की 1.165 है० में वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 प्रत्येक का 1/2 हिस्सा अर्थात 0.5825 है०, खाता सं० 35/50 की 8.727 है० में वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 प्रत्येक का 1/2 हिस्सा अर्थात 4.3635 है० खातेदारी भूमि इस प्रकार जैरवाद भूमि में वादी का कुल 6.6326 है० खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है । वादी व प्रतिवादी न० 1 ता 2 के द्वारा संयुक्त खाते की भूमि का आपसी सहमति के द्वारा घरेलू बंटवारा आज से करीब 20 वर्ष पूर्व किया जा चुका है । तथा इसी घरेलू बंटवारे के मुताबिक ही वादी के कब्जा कास्त में भूमि वाके चक 3 बी पी एस एम तहसील सूरतगढ के खाता सं० 44/27 के प० न० 133/57 मु० न० 34 के किला न० 2/1 में 0.202 है० , 3 ता 5/0.759 है० , 6/0.110 है० , 7/0.110 है०, 10/3 में 0.051 है० = 1.232 है० कमाण्ड खातेदारी भूमि , खाता सं० 45/28 के प० न० 133/57 मु० न० 34 के किला न० 8-9-11/0.759 है० कमाण्ड खातेदारी भूमि एवं चक 3 बी पी एस एम के खाता सं० 34/1 के प० न० 153/1 मु० न० 33 के किला न० 7-8/0.506 है० कमाण्ड, खातेदारी भूमि व खाता सं० 35/50 के प० न० 133/49 मु० न० 35 के किला न० 15/1 में 0.164 है० कमाण्ड , 16/0.037 है० क० = 0.201 है० क०, प० न० 133/57 मु० न० 34 के किला न० 10/2 में 0.139 है० , प० न० 133/58 मु० न० 43 के किला न० 2/0.253 है० , 3/0.0189 है० क० उत्तरी पासा पूर्व से पश्चिम, 4/0.253 है० क०, 5/1 में 0.240 है०, 7/0.253 है०, 9/0.253 है०, 12-14-17-19/1.012 है० कमाण्ड, 22-24/0.506 है० अनकमाण्ड = 2.7889 है० कमाण्ड / अनकमाण्ड, प० न० 153/1 मु० न० 33 के किला न० 9-10/0.506 है० , 11/0.127 है० , 12/2 में 0.126 है० , 13/3 में 0.127 है०, 14/0.126 है० = 1.012 है० कमाण्ड कुल 4.135 है० कमाण्ड/ अनकमाण्ड कुल 6.637 है० कमाण्ड / अनकमाण्ड खातेदारी भूमि वादी को घरू बंटवारा अनुसार प्राप्त हुई है एवं मौका पर कब्जा काशत है जिसका खाता विभाजन वादी करवाना चाहता है ।

बहस सुनने के पश्चात पूर्ण पत्रावली का अवलोकन व मनन करते हुये वादी द्वारा खाता विभाजन अपने कब्जा कास्त के मुताबिक मांगा गया जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नही की गई । इसलिए मुताबिक कब्जा काशत के अनुसार वादी की खातेदारी भूमि खाता विभाजन किया जाना हम उचित समझते है ।

अतः उक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त रकबा चक 3 बी पी एस एम तहसील सूरतगढ के खाता सं० 44/27 की 2.530 है० में वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा अर्थात 0.8433 है० , खाता सं० 45/28 की 2.530 है० में वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 2



उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

—3— (प्र०सं० 129/23 अनवान पदमाराम बनाम भैराराम वगैरा)

प्रत्येक का 1/3 हिस्सा 0.843 है०, खाता सं० 34/1 की 1.165 है० में वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 प्रत्येक का 1/2 हिस्सा अर्थात् 0.582 है०, खाता सं० 35/50 की 8.727 है० में वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 प्रत्येक का 1/2 हिस्सा अर्थात् 4.3635 है० खातेदारी भूमि का वादी का निम्न प्रकार खाता विभाजन स्वीकार किया जाता है एवं शेष खाता सं० 44/27 में 0.843 है०, खाता सं० 45/28 में 0.843 है० कुल 1.686 है० खातेदारी भूमि प्रतिवादी सं० 2 के नाम एवं खाता सं० 44/27 में 0.455 है०, खाता सं० 45/28 में 0.928 है०, खाता सं० 34/1 में 0.659 है०, खाता सं० 35/50 में 4.586 है० कुल 6.628 है० खातेदारी भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज कि जावे एवं निम्न प्रकार से वादी से नाम दर्ज कर अलग से खाता कायम किया जावे :-

क.स.	नाम काश्तकार	चक	प०न०	किला नम्बर / रकबा
1	पदमाराम पुत्र श्री रामलाल जाति जाट साकिन रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ खातेदार	3 बी पी एस एम	133/57(34)	2/1 में 0.202 है० क०, 3 ता 5/0.759 है० क०, 6/0.110 है० क० उतरी पासा, 7/0.110 है० क० उतरी पासा, 10/3 में 0.051 है० क०= 1.232 है० कमाण्ड
			133/57(34)	8-9-11/0.759 है० कमाण्ड
			153/1 (33)	7-8/0.506 है० कमाण्ड
			133/49(35)	15/1 में 0.164 है० क०, 16/0.037 है० क० उतरी पासा = 0.201 है० क०,
			133/57(34)	10/2 में 0.139 है० क०
			133/58(43)	2/0.253 है० क०, 3/0.019 है० क० उतरी पासा पूर्व से पश्चिम, 4/0.253 है० क०, 5/1 में 0.240 है० क०, 7/0.253 है० क०, 9/0.253 है० क०, 12-14-17-19 /1.012 है० क०, 22-24/0.506 है० अ०क० = 2.789 है० कमाण्ड अनकमाण्ड,
			153/1 (33)	9-10/0.506 है० क०, 11/0.127 है० क० उतरी पासा क०, 12/2 में 0.126 है० क०, 13/3 में 0.127 है० क०, 14/0.126 है० क० उतरी पासा = 1.012 है० कमाण्ड
	सभी खातों की कुल 6.638 है० क०/अ०क० खातेदारी भूमि			



इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करने एवं रहन यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है तथा इसी अनुसार आदेश दिये जाने की डिक्री जारी हो । पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक ०७/०५/२५ को खुले न्यायालय में सनाया गया ।

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकदम इश्तदाई

अज अदालत-सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्री गंगानगर बइजलास - श्री संदीप कुमार आर. ए. एस.

अनवान :

पदमाराम पुत्र श्री रामलाल जाति जाट साकिन रधुनाथपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0
----- वादी

बनाम

- 1- भैराराम पुत्र श्री रामलाल } अकवाम जाट साकिनान रधुनाथपुरा तहसील
2- गणेशाराम पुत्र श्री रामलाल } सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0
3- शाखा प्रबन्धक ओ बी सी बैंक वर्तमान पी एन बी बैंक शाखा रधुनाथपुरा
4-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

----- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 व 209 आर. टी. ए. मुकदमा न0 129 वर्ष 2023 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रुबरु हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी कमलदत्त शर्मा एवं राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुकम दिया जाता है ।

वाद वादी स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :-

चक 3 बी पी एस एम तहसील सूरतगढ के खाता सं0 44/27 की 2.530 है0 में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा अर्थात 0.8433 है0, खाता सं0 45/28 की 2.530 है0 में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 2 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा 0.8433 है0, खाता सं0 34/1 की 1.165 है0 में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 प्रत्येक का 1/2 हिस्सा अर्थात 0.5825 है0, खाता सं0 35/50 की 8.727 है0 में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 प्रत्येक का 1/2 हिस्सा अर्थात 4.3635 है0 खातेदारी भूमि का वादी का निम्न प्रकार खाता विभाजन स्वीकार किया जाता है एवं शेष खाता सं0 44/27 में 0.843 है0, खाता सं0 45/28 में 0.843 है0 कुल 1.686 है0 खातेदारी भूमि प्रतिवादी सं0 2 के नाम एवं खाता सं0 44/27 में 0.455 है0, खाता सं0 45/28 में 0.928 है0, खाता सं0 34/1 में 0.659 है0, खाता सं0 35/50 में 4.586 है0 कुल 6.628 है0 खातेदारी भूमि प्रतिवादी न0 1 के नाम दर्ज कि जावे एवं निम्न प्रकार से वादी से नाम दर्ज कर अलग से खाता कायम किया जावे :-



क.स.	नाम काश्तकार	चक	प0न0	किला नम्बर / रकबा
1	पदमाराम पुत्र श्री रामलाल जाति जाट साकिन रधुनाथपुरा तहसील सूरतगढ खातेदार	3 बी पी एस एम	133/57(34)	2/1 में 0.202है0 क0, 3 ता 5/0.759 है0 क0, 6/0.110 है0 क0 उतरी पासा, 7/0.110है0क0 उतरी पासा, 10/3 में 0.051है0 क0= 1.232है0 कमाण्ड
			133/57(34)	8-9-11/0.759 है0 कमाण्ड
			153/1 (33)	7-8/0.506 है0 कमाण्ड
			133/49(35)	15/1 में 0.164है0 क0, 16/0.037है0 क0 उतरी पासा = 0.201है0 क0,
			133/57(34)	10/2 में 0.139 है0 क0
			133/58(43)	2/0.253है0 क0, 3/0.019है0 क0 उतरी पासा पूर्व से पश्चिम, 4/0.253है0 क0, 5/1 में 0.240 है0 क0, 7/0.253 है0क0, 9/0.253 है0 क0, 12-14-17-19 /1.012 है0 क0, 22-24/0.506 है0 अ0क0 = 2.789 है0 क0/अ0क0
			153/1 (33)	9-10/0.506 है0 क0, 11/0.127 है0 क0 उतरी पासा क0, 12/2 में 0.126 है0 क0, 13/3 में 0.127है0 क0, 14/0.126है0 क0 उतरी पासा = 1.012है0 कमाण्ड
				सभी खातो की कुल 6.638 है0 क0/अ0क0 खातेदारी भूमि

इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करने एवं रहन यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है ।

नोज ...x...मुबलिंग ...x...बाबतx.....खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ...x.....फसदो की पालना.....x.....आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।
बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 05/04/25 को जारी की गई ।

(संदीप कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (स.ज.)